बिहार को सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता

1145. श्री एम० एस० पुरती :
श्री राम भगत पास्वान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुये चालू वर्ष में बिहार को सिंचाई योजनाओं के लिये धन-राशी की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो धन का जिलेवार ब्यौरा क्या है और उन योजनाओं को अपने निरीक्षण में लेने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैज नाथ कुरील): (क) और (ख). चालू वर्ष में, बिहार में सूखा-स्थिति को ध्यान में रखते हुये, केन्द्रीय सरकार ने राज्य में वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये किसी किसी विशेष धन-राशि की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की है ।

बहरहाल, राज्य में सूखा-स्थिति का सामना करने के लिये उपायों के सम्बन्ध में 17.17 करोड़ रुपये की विशेष लघु सिंचाई स्कीमें अनुमोदित कर दी गई हैं । इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये कुल अनुमोदित राशि का 25 प्रतिशत पहली किस्त के रूप में, जो कि 429.50 लाख रुपये होता है, राज्य सरकार को पहले ही दे दिया गया है । व्यय की प्रगति तथा कार्यक्रमों के निष्पादन के आधार पर समय-समय पर और धन दिया जाता रहेगा । राज्य सरकार द्वारा धन का जिलेवार आवंटन उपलब्ध नहीं है ।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए नई योजनाएं

1146. श्री एम० एस० पुरती : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार को नई बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को स्वीकार कर लिया है और उनके लिये कुछ अग्रिम राशियां मंजूर की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). माननीय सदस्य शायद उन प्राथमिकता वाली बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का जिक्र कर रहे हैं, जिनके लिये केन्द्र चौथी योजनावधि के दौरान योजना के बाहर विशेष वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो चुका है । बिहार को प्राथमिकता वाली स्कीमों के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है । 1972-73 और 1973-74 के दौरान इन स्कीमों के लिये दिखाये गये 9 करोड़ रुपये की सहायता में से अब तक 145 लाख रुपये अवमुक्त करने के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है और 50 लाख रुपया